निविदा प्रपत्र (TENDER DOCUMENT)

नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में नीलधारा के बाये तटबन्ध पर स्थित चण्डीघाट मोक्षधाम परिसर एवं इसमें स्थित लकड़ी गोदाम के संचालन, प्रबन्धन एवं अनुरक्षण गतिविधियों के अन्तर्गत धार्मिक रीति–रिवाजो के अधीन लीज आधार पर 3 वर्षो की अवधि के लिए संचालक संस्था के चयन के लिए निविदा प्रपत्र

निविदा प्रपत्र सं0: 177 /SMCG/NG/Chandighat/Mokshdham दिनांक:16/02/2026

निविदा मूल्यः रू0– 2000/(रू दो हजार मात्र)

निविदा जारी करने की तिथि : 17 फरवरी, 2026
निविदा जमा करने की तिथि : 10 मार्च, 2026

नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में नीलधारा के बाये तटबन्ध पर स्थित चण्डीघाट मोक्षधाम परिसर एवं इसमें स्थित लकड़ी गोदाम के संचालन, प्रबन्धन एवं अनुरक्षण गतिविधियों के अन्तर्गत धार्मिक रीति–रिवाजो के अधीन लीज आधार पर 3 वर्ष की अवधि के लिए संचालक संस्था के चयन के लिए निविदा प्रपत्र।

कार्यक्रम निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन (एस.एम.सी.जी.), नमामि गंगे, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड की ओर से जनपद हरिद्वार में नीलधारा के बाये तटबन्ध पर स्थित चण्डीघाट मोक्षधाम परिसर एवं इसमें स्थित लकड़ी गोदाम के संचालन, प्रबन्धन एवं अनुरक्षण गतिविधियों के अन्तर्गत धार्मिक रीति–रिवाजो के अधीन वार्षिक लीज आधार पर 3 वर्षो की अवधि के लिए संचालक संस्था के चयन के लिए निविदा के आंमत्रण हेतु इस क्षेत्र में कार्यशील एवं अनुभवी संस्था/ट्रस्ट/फर्म/एजेन्सी/एन0जी0ओ0 आदि से निविदा आंमन्त्रित की जाती है।

इस हेतु तैयार किये गये निविदा प्रस्ताव प्रपत्र को एस.एम.सी.जी. की वेबसाइट www.spmguttarakhand.uk.gov.in से डाउनलोड कर निर्धारित प्रपत्रों के अनुरूप समस्त विवरण व सूचना सहित द्वि–लिफाफा पद्धति (तकनीकी निविदा/अर्हता प्रस्ताव एवं वित्तीय निविदा/वाणिज्यिक प्रस्ताव) पर निम्नांकित विवरण के अनुसार अन्तिम तिथि व समय तक जमा करना होगाः

1	निविदा प्रपत्र जारी करने की तिथि	17 फरवरी 2026 से
2	प्रीबिड मीटिंग की तिथि	26 फरवरी 2026 प्रातः 11 बजे
3	प्रस्ताव जमा करने की अन्तिम तिथि	10 मार्च 2026 अपराह्न 13:00 बजे तक
4	तकनीकी निविदा/अर्हता प्रस्ताव खोलने की तिथि	10 मार्च 2026 अपराह्न 15:00 बजे
5	वित्तीय निविदा/वाणिज्यिक प्रस्ताव खोलने की तिथि	अर्ह प्रस्तावकों को पृथक से सूचित किया जायेगा।

क– प्रस्ताव जमा करने की पद्धतिः निविदा के प्रस्ताव को पृथक–पृथक सीलबन्द लिफाफो में निम्नानुसार जमा किया जायेगा।

01. तकनीकी निविदा/अर्हता सम्बंधी प्रस्तावः तकनीकी निविदा/अर्हता सम्बन्धी प्रस्ताव को निर्धारित प्रारूप अनुलग्नक–1 पर समस्त संलग्नकों व अन्य आवश्यक प्रपत्रों व

विवरण को स्वहस्ताक्षरित कर एक अलग लिफाफे में सीलबन्द किये जायेगें, जिन पर **तकनीकी निविदा/अर्हता प्रस्ताव** स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।

02. **वित्तीय निविदा/वाणिज्यिक प्रस्तावः** निविदा प्रपत्र के अनुलग्नक–2 के अनुसार वित्तीय निविदा/प्रस्ताव को हस्क्षारित व मुहर सहित एक अलग लिफाफे में सीलबन्द किये जायेगें, जिन पर **वित्तीय निविदा/वाणिज्यिक प्रस्ताव** स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा। इस लिफाफे में अन्य कोई भी विवरण संलग्न नही किया जायेगा।

03. उपरोक्त दोनो लिफाफो को ''**हरिद्वार में चण्डीघाट स्थित मोक्षधाम परिसर के लिए संचालक संस्था के चयन के लिए निविदा प्रपत्र**'' पृष्ठांकित कर बड़े लिफाफे में रखकर सीलबन्द कर जमा किया जायेगा।

<u>ख– प्रस्ताव जमा करने का पताः</u>

हरिद्वार में चण्डीघाट स्थित मोक्षधाम परिसर के लिए संचालक संस्था के चयन के लिए निविदा प्रपत्र को दिये गये निर्देशानुसार सीलबन्द बड़े लिफाफे को निम्नांकित पते पर निर्धारित तिथि व समय तक जमा करना होगाः

कार्यालय कार्यक्रम निदेशक,
राज्य स्वच्छ गंगा मिशन (एस.एम.सी.जी.),
नमामि गंगे, उत्तराखण्ड,
105 नया नं. 545/941, राजपुर रोड़,
आर.टी.ओ. कार्यालय के सामने, देहरादून–248001

किसी भी अन्य सूचना व विवरण के लिए कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।

प्रस्ताव जमा करने से पूर्व कृपया नोट करे कि :

01. प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले संस्था/ट्रस्ट/फर्म/एजेन्सी/एन0जी0ओ0 आदि को अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि वे निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त आवश्यक विवरण व अर्हता सम्बंधी प्रपत्र पूर्ण रूप से भरकर जमा किये जा रहे है।

02. प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले संस्था/ट्रस्ट/फर्म/एजेन्सी/एन0जी0ओ0 आदि को अपने स्तर से मोक्षधाम स्थल/कार्यालय आदि का भ्रमण कर यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि वे निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त अपेक्षाओं को पूर्ण करने हेतु सक्षम व अवगत है।

<u>ग– प्रस्ताव के साथ जमा करने वाले विवरण व प्रपत्रः</u>

प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाली संस्था/ट्रस्ट/फर्म/एजेन्सी/एन0जी0ओ0 आदि के द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त विवरण व प्रपत्रों की स्वप्रमाणित हस्ताक्षरित व सीलबन्द फोटो प्रतियॉ तकनीकी निविदा/अर्हता प्रस्ताव के साथ जमा किया जाना होगा।

<u>घ– चण्डीघाट हरिद्वार में नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित मोक्षधाम परिसर के अवस्थापनागत विवरणः</u>

हरिद्वार में नीलधारा के बाये तट पर नजीबाबाद पुल के डाउनस्ट्रीम में नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत चण्डीघाट में आधुनिक शवदाह गृह सम्बंधी विभिन्न सुविधाये व लकड़ी का गोदाम विकसित किया गया है, जिसके प्रमुख अवस्थापनागत विवरण निम्नवत् हैः–

1. चण्डीघाट मोक्षधाम परिसर लगभग 11721 वर्गमीटर क्षेत्रफल में निर्मित है।
2. मोक्षधाम परिसर से बलुवा पत्थर द्वारा नीलधारा प्रवाह तक सीढ़ियॉ का निर्माण किया गया है।
3. मोक्षधाम परिसर में लकड़ी प्रयोग के उन्नत 16 अदद् प्लेटफार्म, आरसीसी शेड व चिमनी सहित निर्माण किया गया है।
4. पत्थरयुक्त आरसीसी शेड में ग्रेनाइट टॉप के विश्राम स्थल व जलधारा प्रवाह सहित नहान स्थल विकसित किये गये है।
5. आरसीसी एवं स्टोनवर्क निर्माण के आच्छादित प्रार्थना स्थल एवं प्रतीक्षालय का नवनिर्माण किया गया है।
6. परिसर में पेयजल, जलधारा प्रवाह, जनसुविधायें, लॉकर कक्ष, वाहन पार्किग स्थल, कार्यालय आदि का निर्माण किया गया है।
7. चण्डीधाम मोक्षधाम परिसर में 284 वर्गमीटर क्षेत्रफल के 150 मी0टन क्षमता के पक्के आरसीसी के लकड़ी गोदाम का निर्माण किया गया है, जिसे संचालन संस्था को प्रतिदिन पूर्णकालिक रूप से संचालित किया जाना होगा।
8. परिसर में विकसित अवस्थापनाओं के अतिरिक्त यथावश्यक फर्नीचर, पंखें, प्रकाश बिन्दु आदि तथा लकड़ी काटने वाले व अन्य स्टॉप की व्यवस्था परिसर संचालक संस्था को अपने स्तर से स्वयं किया जायेगा।
9. परिसर में लगाये गये हाईमास्ट लाइट की विद्युत व्यवस्था व बिल नमामि गंगे के अन्तर्गत वहन किये जायेगे, परन्तु उसके अतिरिक्त प्रकाश व अन्य बिद्युत बिन्दुओं, जो पहले से व्यवस्थित हैं या जिनकी स्थापना संचालक संस्था द्वारा की जायेगी तथा उनके विद्युत देयको का वहन संचालक संस्था को स्वंय करना होगा।
10. चण्डीघाट मोक्षधाम परिसर के संचालन की सामान्य कार्यावधि प्रातः 8 से रात्रि 8 बजे तक होगी।

11. चण्डीघाट मोक्षधाम परिसर का सही मानचित्र सुलभ संदर्भ हेतु अंतिम पृष्ठ पर संलग्न है।
12. आवेदक द्वारा रु. 10 के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र जमा करना होगा कि संस्था/ट्रस्ट/फर्म/एजेन्सी/एन0जी0ओ0 पर किसी भी प्रकार का आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का आपराधिक रिकार्ड वर्तमान या पूर्व में दर्ज नहीं है एवं संस्था/ट्रस्ट/फर्म/एजेन्सी/एन0जी0ओ0 किसी भी सरकारी/गैर सरकारी संस्थान द्वारा काली सूची (Blacklisted) में घोषित नहीं किया गया है।
13. निविदा प्रपत्र का सम्पूर्ण प्रस्ताव आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
14. किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र देहरादून होगा।
15. किसी या सभी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त या स्वीकार करने का अधिकार कार्यक्रम निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन (एस.एम.सी.जी.), नमामि गंगे, देहरादून के अधीन सुरक्षित होगा।
16. प्रत्येक शवदाह के संस्कार हेतु पंडित, नाई, आदि तथा शवदाह से सम्बन्धित सामग्री आदि की व्यवस्था मोक्षधाम में संचालक संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी जिससे इच्छुक व्यक्तियो को सभी सुविधा मोक्षधाम में मिल सके। प्रत्येक सुविधा या सामग्री की दर, जो कि प्रस्तावित दर में पूर्णतः सम्मलित है, से सम्बन्धित सूचना का बोर्ड मोक्षधाम परिसर में संचालक संस्था द्वारा लगाना होगा। इसके अलावा अन्य कुछ देय नही होगा।

च– मोक्षधाम परिसर के संचालन, प्रबंधन व अनुरक्षण संबंधी प्रस्तावित कार्यकलाप विवरण:

मोक्षधाम परिसर के संचालन, प्रबंधन व अनुरक्षण संबंधी संचालक संस्था के मुख्य कार्यकलाप निम्नवत् होंगे :–

1. शवदाह हेतु आवश्यक विभिन्न प्रकार के काष्ठों की सूची, आकार, लंबाई आदि सहित इनके विक्रय की दर के विवरण संचालक संस्था द्वारा तैयार कर समय–समय पर कार्यक्रम निदेशक के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जायेगे।

2. संचालक संस्था द्वारा मोक्षधाम परिसर में अवस्थित विभिन्न सुविधाओं, सेवाओं व काष्ठ गोदाम के सुचारू संचालन हेतु आवश्यक श्रमशक्ति, सामग्री, मशीनरी आदि के लगाये जाने संबंधी विवरण व प्रस्ताव तैयार कर तकनीकी निविदा के साथ संलग्न कर निविदा कमेठी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये जायेगे।

3. मोक्षधाम परिसर एवं काष्ठ गोदाम के संचालन हेतु शासन/प्राधिकारी/स्थानीय निकाय आदि से आवश्यक परमिट लाइसेंस आदि संचालक संस्था द्वारा अपने स्तर से स्वयं प्राप्त किये जायेंगे।

4. संचालक संस्था को शवदाह संबंधी धार्मिक रीति रिवाजो का सुचारू रूप से कार्यान्वयन करेगी एवं प्रत्येक शवदाह का पूर्ण रिकार्ड रखना अनिवार्य होगा।

5. संचालक संस्था को मोक्षधाम परिसर की अवस्थापनाओं, उपकरणों व संरचनाओं की सुरक्षा एवं व्यवस्था अपने स्तर से सुनिश्चित करनी होगी एवं किसी भी प्रकार की नुकसान की स्थिति में हर्जाना एस.एम.सी.जी. को उसके द्वारा देय होगा।

6. संचालक संस्था को मोक्षधाम परिसर की साफ–सफाई की व्यवस्था अपने स्तर पर सुनिश्चित करनी होगी। दाह संस्कार क्रिया में चढाये जाने वाले फूल, माला, चादरे, कपडे एवं बांस आदि का समुचित निदान आवश्यक है जिस हेतु आवश्यक डस्टबिन आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की गन्दगी गंगा नदी में प्रवाहित न हो इसकी समुचित व्यवस्था संचालक संस्था की होगी।

7. अनुबंध हस्ताक्षर होने के पश्चात मोक्षधाम परिसर एवं लकडी के गोदाम आदि को किसी भी प्रकार से सब लीज़ करने का संचालक संस्था को कोई अधिकार नही है।

8. संचालक संस्था यह सुनिश्चित करे कि मोक्षधाम में दाह संस्कार हेतु लकडी की आपूर्ति इस आधार पर की जाय कि उन्नत शवदाह गृह (Improved Wooden Crematoria) की उपयोगिता पूर्णतः बनी रहे।

9. संचालक संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि सभी दाह संस्कार क्रिया मोक्षधाम परिसर के अन्दर निर्मित उन्नत शवदाह गृह (Improved Wooden Crematoria) में ही सम्पन्न होंगी। नदी तट पर कोई भी दाह संस्कार नही किया जाय। इसकी समुचित जिम्मेदारी संचालक संस्था की होगी। उक्त नियम का उल्लंघन होने की स्थिति पर एस.एम.सी.जी. द्वारा रु0 5000.00 तक का जुर्माना संचालन संस्था पर लगाया जा सकता है जिसे संचालक संस्था द्वारा एस.एम.सी.जी. को देना होगा। 3 बार उल्लंघन होने की स्थिति में मोक्षधाम का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

10. मोक्षधाम परिसर में मांस, मदिरा, तम्बाकू गुटका आदि का सेवन पूर्ण रूप से वर्जित है। संचालक संस्था यह सुनिश्चित करे कि यदि कोई भी व्यक्ति मोक्षघाम परिसर में उक्त प्रकार के वर्जित वस्तुओ का सेवन करता हुआ पाया गया तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संचालन संस्था की होगी तथा इस स्थिति में एस.एम.सी.जी. द्वारा रु0 2000.00 तक का जुर्माना संचालन संस्था पर लगाया जा सकता है जिसे संचालक संस्था द्वारा एस.एम.सी.जी. को देना होगा।

छ– लीज़ अनुबंध की शर्तेः–

मोक्षधाम परिसर एवं काष्ठ गोदाम के संचालन, प्रबंधन एवं अनुरक्षण संबंधी प्रथम तीन वर्ष के लीज़ अनुबंध संबंधी मुख्य शर्ते निम्नवत् होंगीः–

1. **लीज की अवधिः–** लीज प्रथमतः तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा किन्तु अनुबन्ध एक वर्ष की अवधि के लिए किया जायेगा। एक वर्ष की अवधि में आवंटी द्वारा अनुबन्ध की शर्तो का

उलंघन न होने तथा कोई शिकायत प्राप्त न होने की स्थिति में ही अनुबन्ध को आगे दो वर्षो हेतु बढाया जायेगा।

2. **लीज का मूल्यः–** वार्षिक लीज की निर्धारित दर प्रथम वर्ष हेतु रू0 80,000.00 (रू0 अस्सी हजार मात्र) होगी। वार्षिक लीज हेतु निर्धारित प्रीमियम धनराशि पर 10 प्रतिशत की दर से वार्षिक वृद्धि की जायेगी। इस धनराशि को मोक्षधाम परिसर के सतत विकास हेतु आवश्यक कार्यो की मदो में खर्च किया जायेगा।

3. **दर अनुसूचीः–** निविदा पर निर्णय प्रत्येक शवदाह की कुल धनराशि हेतु प्राप्त न्यूनतम धनराशि के आधार पर होगा।

4. **विद्युत देयः–** संचालक संस्था को मोक्षधाम के विद्युत संबंधी वास्तविक देयकों के आधार पर स्वयं भुगतान करना होगा। भुगतान न होने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

5. **जमानत धनराशिः–** आवेदक द्वारा न्यूनतम वार्षिक लीज धनराशि के पचास प्रतिशत (50%) की धनराशि रू0 40,000.00 (रू0 चालीस हजार मात्र) जमानत धनराशि के रूप में एस.एम.सी. जी. कार्यालय में जमा करानी होगी। यह धनराशि एफ0डी0आर0/बैंक ड्राफ्ट के रूप में तकनीकी निविदा/अर्हता प्रस्ताव के साथ जमा करना अनिवार्य है। जमानत धनराशि **कार्यक्रम निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, देहरादून** (Program Director, SMCG, Dehradun), के पक्ष में देहरादून में बंधक/देय होगी।

6. निविदा मूल्यः– मोक्षधाम निविदा का मूल्य रू0 2000.00 (रू0 दो हजार मात्र) को बैंक ड्राफ्ट के रूप में तकनीकी निविदा/अर्हता प्रस्ताव के साथ जमा करना अनिवार्य है। निविदा मूल्य **कार्यक्रम निदेशक, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, देहरादून** (Program Director, SMCG, Dehradun), के पक्ष में देहरादून में देय होगा।

7. आवेदक यह सुनिश्चित करले कि वह जो भी प्रत्येक शवदाह की न्यूनतम दर निविदा में अंकित करेगा उसमें मोक्षधाम परिसर संचालन से सम्बन्धित समस्त व्यय समाहित हो। एस.एम. सी.जी.द्वारा किसी भी प्रकार का संचालन व्यय स्वीकार नही करेगा।

8. चयनित संचालक संस्था को एस.एम.सी.जी. के साथ अनुंबध हस्ताक्षरित करना होगा। उपरोक्त बिन्दु 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत जमानत धनराशि को अनुंबध परफार्मेस गांरटी के रूप में जमा कर लिया जायेगा, जिसे अनुबंध की समाप्ति के पश्चात ही अवमुक्त किया जायेगा।

9. प्रस्तावित प्रति शवदाह की दर एवं संस्कार से सम्बन्धित सामग्री की दर से सम्बन्धित सूचना का बोर्ड मोक्षधाम परिसर में संचालक संस्था द्वारा लगाना होगा। इसके अलावा अन्य कुछ देय नही होगा।

<u>ज– संचालक संस्था की चयन प्रक्रियाः</u>

01. विज्ञापित निविदा के अन्तर्गत निर्धारित तिथि तक प्रस्ताव जमा करने वाली संस्था/ट्रस्ट/फर्म/एजेन्सी/एन0जी0ओ0 आदि को उनके द्वारा प्रस्तुत तकनीकी निविदा/अर्हता प्रस्ताव के आधार पर शार्टलिस्ट किया जायेगा एवं शार्टलिस्ट की गयी संस्थाओं को वित्तीय निविदा/वाणिज्यिक प्रस्ताव खोले जाने के समय आंमत्रित किया जायेगा।

02. चयन समिति द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण।

03. वित्तीय/वाणिज्यिक प्रस्ताव पर निगोशियेशन (आवश्यकतानुसार)।

झ– संचालक संस्था चयन के मापदण्डः

प्रस्ताव जमा करने वाली संस्था/ट्रस्ट/फर्म/एजेन्सी/एन0जी0ओ0 आदि को उनके उपयुक्तता सम्बंधी निम्नांकित सूचनाये अनिवार्यरूप से प्रस्तुत की जानी होगीं:

1. **पूजीगंज निवेशः** मोक्षधाम परिसर एवं कास्ट गोदाम संचालन हेतु काफी अधिक पूंजीगत निवेश की आवश्यकता होगी, जिसके लिए प्रस्ताव जमा करने वाली संस्था द्वारा उक्त निवेश की व्यवस्था किस प्रकार से की जायेगी, सम्बंधी विवरण प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किया जाना होगा।

2. **दरो सम्बंधी विवरणः** वित्तीय निविदा/वाणिज्यिक प्रस्ताव की अपेक्षानुरूप प्रस्ताव जमा करने वाली संस्था को प्रत्येक सेवा/मद दर प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायेगें।

3. **श्रमशक्तिः** मोक्षधाम व कास्ट गोदाम के संचालन, प्रबन्धन व अनुरक्षण व श्रम शक्ति के विस्तृत विवरण प्रस्तुत किये जायेगें।

4. इस प्रकार के कार्यो का अनुभव अथवा किसी अन्य स्थान पर मोक्षधाम संचालित कर रहे हों का विस्तृत विवरण प्रदान करना होगा।

5. संस्था/ट्रस्ट/फर्म/एजेन्सी/एन0जी0ओ0 आदि का पंजीकरण न्यूनतम 05 वर्ष पूर्व का हो तथा इनके द्वारा गत 03 वर्षो में किये जा रहे समस्त प्रकार के कार्यो का विवरण संलग्न करना होगा।

6. आवेदक संस्था/ट्रस्ट/फर्म/एजेन्सी/एन0जी0ओ0 आदि को मोक्षधाम संचालन का 3 वर्ष का अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

7. अन्य आवश्यक विवरण, जो कि प्रस्ताव के अनुरूप कार्यान्वयन हेतु आवश्यक हो, भी प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किये जायेगें।

अनुलग्नकः–1

तकनीकी निविदा / अर्हता प्रस्ताव

(पृथक सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत किया जायेगा)

नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में नीलधारा के बाये तटबन्ध पर स्थित चण्डीघाट मोक्षधाम परिसर एवं इसमें स्थित लकड़ी गोदाम के संचालन, प्रबन्धन एवं अनुरक्षण गतिविधियों के अन्तर्गत धार्मिक रीति–रिवाजो के अधीन लीज आधार पर 3 वर्षो की अवधि के लिए संचालक संस्था के चयन के लिए तकनीकी निविदा का प्रस्ताव–

1	संस्था / ट्रस्ट / फर्म / एजेन्सी / एन0जी0ओ0 आदि का नामः (पंजीकरण / रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)	
2	संस्था / ट्रस्ट / फर्म / एजेन्सी / एन0जी0ओ0 आदि के प्रोपराइटर / डायरेक्टर का नामः	
3	पंजीकृत कार्यालय का पूर्ण पताः टेलीफोन संख्याः मेलः मोबाइलः ब्रांच आफिसः	
4	पैन / जीआईआर संख्या (स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करे)	
5	जीएसटी पंजीकरण संख्या (स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करे)	
6	ई.पी.एफ. संख्याः (स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करे)	
7	ई.एस.आई. संख्याः (स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करे)	
8	यदि फर्म सोल प्रेापराइटरशिप / पार्टनरशिप फर्म है, तो डायरेक्टर / पार्टनर का नाम, पता व टेलीफोन विवरण अंकित करे।	

9	गत तीन वर्षो में किये गये समान प्रकृति के कार्यो का विवरणः (अनुभव प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।)	
10	पूर्व में मोक्षधाम संचालन का विवरण : (अनुभव प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।)	
11	निविदा शुल्क का विवरणः धरोहर धनराशि का विवरणः	

12. गत तीन वर्षो में संस्था/ट्रस्ट/फर्म/एजेन्सी/एन0जी0ओ0 के बैलेस सीट सहित वार्षिक टर्नओवर विवरण : (आईटीआर रिटर्न व बैलेस सीट की प्रमाणित प्रतियॉ संलग्न करे)

वित्तीय वर्ष	धनराशि (लाख में)	अभ्युक्ति
2022–23		
2023–24		
2024–25		

घोषणाः

मै............................ पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.......................... उपरोक्त समस्त विवरण व प्रपत्रो के हस्ताक्षर हेतु सक्षम हू। मेरे द्वारा इनका ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया गया है एवं मै इन्हे स्वीकार हेतु बाध्य हूँ।

दिनांक

स्थानः

हस्ताक्षर

नामः

पद :(मोहर)

ई–मेल :

अनुलग्नकः–2

वित्तीय निविदा / वाणिज्यिक प्रस्ताव

(पृथक सीलबन्द लिफाफे में अलग से प्रस्तुत की जायेगी)

नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत हरिद्वार में नीलधारा के बाये तटबन्ध पर स्थित चण्डीघाट मोक्षधाम परिसर एवं इसमें स्थित लकड़ी गोदाम के संचालन, प्रबन्धन एवं अनुरक्षण गतिविधियों के अन्तर्गत धार्मिक रीति–रिवाजो के अधीन लीज आधार पर 3 वर्षो की अवधि के लिए संचालक संस्था के चयन के लिए वित्तीय निविदा का प्रस्तावः–

संस्था / ट्रस्ट / फर्म / एजेन्सी / एन0जी0ओ0 आदि का नामः.................................

क्र0 स0	धार्मिक रीति–रिवाजो के अन्तर्गत प्रति शवदाह हेतु वांछित विवरण	प्रति शवदाह हेतु धनराशि का विवरण	
		दर	धनराशि (रू0 में)
1.	प्रत्येक शवदाह के लिए वांछिष्त न्यूनतम 4.50 क्विटंल लकड़ी हेतु प्रस्तावित धनराशि		
2.	प्रत्येक शवदाह के लिए पंडित की व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि		
3.	प्रत्येक शवदाह के लिए प्रति मुण्डन हेतु नाई की व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि		
4.	मोक्षधाम के संचालन हेतु आवश्यक मैनपावर के लिए प्रत्येक शवदाह हेतु प्रस्तावित धनराशि		
5.	मोक्षधाम संचालन के अन्य खर्चो हेतु प्रत्येक शवदाह के आधार पर प्रस्तावित धनराशि		
मोक्षधाम परिसर एवं इसमें स्थित लकड़ी गोदाम के संचालन, प्रबन्धन एवं अनुरक्षण गतिविधियों का धार्मिक रीति–रिवाजो के आधार पर प्रति शवदाह की कुल धनराशि रू0 –			

1. संचालन व्यवस्था में सम्मिलित कार्मिकों को भारत सरकार के न्यूनतम वेतन एक्ट 1948 द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन को संज्ञान में करते हुए दरो सम्बंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

2. संचालक संस्था वैधानिक दायित्वों के निर्वहन हेतु स्वंय जिम्मेदार होगी।

3. यह सत्यापित किया जाता है कि मै / हम द्वारा निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर करने से पूर्व नियम व शर्तो का पूर्णतया अध्ययन कर लिया गया है एवं मानने हेतु प्रतिबद्व हूँ।

दिनांक — हस्ताक्षर

स्थानः — नामः

पदः

(मोहर सहित)